

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून।

संख्या 4402 /स्था०एक/प०चि०फा०/2016-17 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

“विज्ञप्ति”

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट, वेतनमान रु.9300-34800 ग्रेड पे रु.4200 के 116 रिक्त पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित अर्हता/योग्यता धारी अभ्यर्थियों से निम्न प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पदनाम	कुल पदों की संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट	116	61	29	10	16

नोट: रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है तथा यह विज्ञप्ति मा०उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित वाद संख्या 2129/2016 श्री रंजन कुमार पाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

1. शैक्षिक योग्यता—

(क) उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से विज्ञान विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। इसके अतिरिक्त फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के एजुकेशन रेगुलेशन 1991 फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मसी (एजुकेशन संशोधन रेगुलेशन 1994 द्वारा संशोधित) के उत्तराखण्ड राज्य में लागू होने से पूर्व हाईस्कूल योग्यताधारक भी अर्ह होंगे।

(ख) अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मसी (एलोपैथी) में डिप्लोमाधारक होना चाहिये।

2. अन्य अनिवार्य अर्हताएं— आवेदन हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं भी पूर्ण करना अनिवार्य है :—

(क) आवेदन की तिथि अभ्यर्थी को रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है।

(ख) अभ्यर्थी को आवेदन की तिथि को उत्तराखण्ड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है।

3. अधिमानी अर्हता—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(क) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का “बी प्रमाण पत्र” प्राप्त किया हो या

(ख) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष का सेवा अनुभव हो।

अधिमानी अर्हता भी समान होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, जो पहले हो उसको प्रवीणता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

4. आरक्षण—

(क) ऊर्ध्व आरक्षण—उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार ऊर्ध्व आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण—क्षैतिज आरक्षण का लाभ नियुक्ति के समय राज्य सरकार के प्रचलित शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। आरक्षण हेतु सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

5. राष्ट्रीयता—

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगांडा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑन तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्व अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार के द्वारा पात्रता प्रमात्र पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक समय के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त के साथ रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

6. **आयुः**—01 जुलाई, 2016 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखण्ड के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।
7. **शारीरिक स्वस्थता:**— किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। चयनित होने पर अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/समकक्ष चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. **शुल्क:**—उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **₹ 100.00 (एक सौ रुपये मात्र)** तथा सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को **₹ 200.00 (दो सौ रुपये मात्र)** का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत अरेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।
9. **आवेदन की अन्तिम तिथि:**—आवेदन पत्र केवल **रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट** से निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून के कार्यालय में **दिनांक 23.01.2017 (सांय 05:00 बजे)** तक स्वीकार किये जायेंगे, अन्य माध्यमों से एवं उक्त निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, आवेदन के लिफाफे के शीर्ष भाग पर **“पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट के पद हेतु आवेदन पत्र”** अंकित किया जाय।
10. **अभ्यर्थियों का चयन:**— उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट सेवानियमावली, 2010 एवं उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अनुसार चयन किया जायेगा।
11. **सामान्य निर्देश:**—
 - (1) आवेदन A4 साईज के पेपर पर किया जायेगा, आवेदन पत्र का प्रारूप पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ahd.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अपूर्ण/अस्पष्ट आवेदन पत्र एवं कोई संलग्नक गलत/अपूर्ण पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
 - (2) आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज की फोटोग्राफ अवश्य चस्पा किया जाय, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
 - (3) आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अपना पता लिखे, रुपये 30.00 के डाक टिकट लगे दो लिफाफे (10X23से०मी० आकार के) संलग्न करने आवश्यक है।
 - (4) आवेदन पत्र के साथ आवेदक अपने शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं समस्त अंकतालिकाओं, अधिमानी अर्हता, जन्मतिथि, आरक्षण सम्बन्धी एवं उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल में पंजीकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (5) आवेदन पत्र के साथ उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल में पंजीकरण सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र **(नवीनीकरण की दशा में भी पंजीकरण आवेदन की तिथि को वैध होना चाहिये)** की प्रमाणित छाया प्रति(पृष्ठ भाग सहित) अवश्य संलग्न करें तथा आवेदन में पंजीकरण का नम्बर एवं दिनांक अंकित किया जाय, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
 - (6) आवेदन पत्र के साथ आवेदक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र **(नवीनीकरण की दशा में भी पंजीकरण आवेदन की तिथि को वैध होना चाहिये)** की प्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें तथा आवेदन पत्र में पंजीकरण कार्यालय का नाम एवं पंजीकरण नम्बर अवश्य अंकित किया जाय। अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
 - (7) राजकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ नियुक्ति अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (8) अभ्यर्थी की अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड

“पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप”

विभाग का नाम: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड पदनाम: पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट, विज्ञापित सं०: 4402/दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

1. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम

अ. हिन्दी में (देवनागरी लिपि में) -----

ब. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में -----

2. पिता/पति का नाम

अ. हिन्दी में (देवनागरी लिपि में) -----

ब. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में -----

3. अभ्यर्थी की जन्मतिथि (हाईस्कूल/हायर सैकेण्डरी प्रमाण पत्र के अनुसार)

अ. अंको में : तिथि माह वर्ष

ब. शब्दों में :-----

4. अ. गृह जनपद का नाम -----

ब. स्थाई पता -----

स. पत्र व्यवहार का पता -----

-----पिनकोड-----

द. टेलीफोन नं०(एस०टी०डी० कोड सहित)/मोबाईल नं० (यदि हो)-----

5. अभ्यर्थी की श्रेणी (गोला बनाकर अंकित करें) (उत्तराखण्ड महिला/अनु० जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य)

6. क्शैतिज आरक्षण का प्रकार (गोला बनाकर अंकित करें) (उत्तराखण्ड महिला/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से विकलांग(केवल पी०बी०-आंशिक अंधापन/पी०डी०-आंशिक बधिर)/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी के आश्रित)

नोट: उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी के आश्रितों का चयन मा०उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका के अधीन रहेगा।

7. लिंग (गोला बनाकर अंकित करें) पुरुष/महिला

9. नागरिकता -----

8. शैक्षिक/प्राविधिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण:-

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	हाईस्कूल						
2	इण्टरमीडिएट						
3	फार्मसी(एलीपैथी)डिप्लोमा (उत्तीर्ण वर्ष के अनुसार)						
4							
5							

(शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं समस्त अंकतालिकाएं, अधिमानी अर्हता, जन्मतिथि, आरक्षण सम्बन्धी, उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल में पंजीकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है)

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पासपोर्ट साईज का नवीनतम एवं प्रमाणित फोटो चिपकायें। प्रमाणित इस प्रकार किया जाए कि हस्ताक्षर/मोहर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा भाग आवेदन पर हो।

9. अधिमानी अर्हता-----
10. उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल में पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) का नम्बर-----तिथि-----
11. राज्य में सेवायोजन कार्यालय (जहां पंजीकरण किया गया है) का नाम -----नम्बर/तिथि-----
12. आवेदन का शुल्क का विवरण :

बैंक ड्राफ्ट का नम्बर एवं दिनांक	जारी कर्ता बैंक का नाम, स्थान, जनपद सहित	धनराशि

सामान्य निर्देश :-

- (1) आवेदन ए-4 साईज के पेपर पर स्वच्छ एवं स्पष्ट अक्षरों में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरा जाय।
- (2) राजकीय या अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिकों द्वारा नियुक्त अधिकारी से निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र अवश्य संलग्न किया जाय।
- (3) क्या आपको कभी किसी सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में डिबार किया गया है ? (हां/नहीं)
- (4) क्या आपको कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है? (हां/नहीं)

“घोषणा”

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित समस्त सूचनाएं सत्य हैं। मैंने विज्ञप्ति की सभी पात्रता शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ा है। मैंने प्रस्तुत विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छुपाया है। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत, असत्य पायी जाएं, तो मेरे विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही किये जाने/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने या नियुक्ति के उपरान्त सेवा समाप्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके लिये मैं स्वयं पूर्णरूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

संलग्नकों की कुल संख्या () एवं विवरण :-

- | | |
|-----|-----|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

अभ्यर्थी का नाम -----

दिनांक:-----स्थान: -----